"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2013—आश्विन 19, शक 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजू कुमार अड़ियेचा पिता श्री हीरा लाल अड़ियेचा, उम्र 50 वर्ष, निवासी- शीतला चौक, मठपारा रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम राजेश अड़ियेचा पिता श्री हीरा लाल अड़ियेचा था तथा यही नाम मेरे समस्त प्रमाण पत्र, अंकसूची, बैंक, बीमा, शासकीय तथा अर्ध शासकीय विभाग में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर राजू कुमार अड़ियेचा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे राजू कुमार अड़ियेचा पिता श्री हीरा लाल अड़ियेचा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

राजेश अड़ियेचा
पिता श्री हीरा लाल अड़ियेचा
निवासी-शीतला चौक, मठपारा
रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

राजू कुमार अड़ियेचा
पिता- स्व. श्री हीरा लाल अड़ियेचा
निवासी-बैरन बाजार, पी. डब्ल्यू. डी. कालोनी
क्वा. नं. जी. 7, रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, खेलन बाई मारकण्डे पिता श्री पालूराम मारकण्डे, उम्र 33 वर्ष, निवासी डी. एस. एस. क्वाटर नं.-09, रायपुर नाका दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम खेलन बाई मारकण्डे पिता पालूराम मारकण्डे दर्ज है. मेरी जन्म तिथि दिनांक 14-11-1980 है जबकि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरी जन्म तिथि त्रुटिवश पंजीयन दिनांक 26-11-1980 दर्ज किया गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अलिशा रख ली हूं तथा मेरी सही जन्मतिथि 14-11-1980 को सभी अभिलेखों में सुधार करवाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे अलिशा पिता श्री पालूराम के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
खेलन बाई मारकण्डे पिता श्री पालूराम निवासी-क्वा. नं. 09, रायपुर नाका, दुर्ग तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	अलिशा पिता श्री पालूराम निवासी-क्वा. नं. 09, रायपुर नाका, दुर्ग तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुरेश चन्द्र सरकार पिता एन. एन. सरकार, आयु 50 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 106, सड़क नं.-5, मैत्री नगर, फेस-06, रिसाली भिलाई, पोस्ट सिविक सेन्टर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र सुधन्य सरकार जिसकी जन्मतिथि 16-3-1999 है तथा पी. डी. एस. स्कूल दुर्ग में 9 वीं का छात्र है. मैं अपने पुत्र के नाम को परिवर्तित कर सुधन्य सम्राट सरकार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को सुधन्य सम्राट सरकार पिता श्री सुरेश चन्द्र सरकार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सुधन्य सरकार पिता-श्री सुरेश चन्द्र सरकार निवासी-मकान नं. 106, सड़क नं. 5 मैत्री नगर, फेस 6, रिसाली भिलाई जिला दुर्ग (छ. ग.)	सुधन्य सम्राट सरकार पिता-श्री सुरेश चन्द्र सरकार निवासी-मकान नं. 106, सड़क नं. 5 मैत्री नगर, फेस 6, रिसाली भिलाई जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती विनिता मनु बालाकृष्णनन धर्मपत्नी श्री मनु बालाकृष्णनन, आयु 29 वर्ष, निवासी-सेक्टर 2, अय्यपा मंदिर, थाना कोतवाली भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पुत्र का नाम निश्चल नायर पिता राजीव नायर था जिसे मैं परिवर्तित कर निश्चल मनु आ. मनु बालाकृष्णनन रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को निश्चल मनु आ. मनु बालाकृष्णनन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
निश्चल नायर आत्मज-श्री मनु बालाकृष्णनन निवासी-सेक्टर 2, अय्यपा मंदिर, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	निश्चल मनु आत्मज-श्री मनु बालाकृष्णनन निवासी-सेक्टर 2, अय्यपा मंदिर, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामकुमार कश्यप आत्मज स्व. श्री रामखिलावन, उम्र 52 वर्ष, जाति कुर्मी, निवासी ग्राम पांड़ तहसील तखतपुर जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं कार्यपालन अभियंता विद्युत अभियांत्रिकी लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग सकरी बिलासपुर में डाक रनर के पद पर कार्यरत हूं. यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम रामकुमार कौशिक दर्ज है तथा मेरे मतदाता परिचय पत्र, बैंक पास बुक, कृषि संबंधी दस्तावेजों में मेरा नाम रामकुमार कश्यप दर्ज है. मैं अपने उपनाम कौशिक को परिवर्तित कर नया नाम रामकुमार कश्यप रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे रामकुमार कश्यप आत्मज स्व. श्री रामखिलावन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
रामकुमार कौशिक पिता-स्व. श्री रामखिलावन निवासी-विद्युत यांत्रिकीय लाईट मशीनरी एवं गेट संभाग, संकरी बिलासपुर (छ. ग.)	रामकुमार कश्यप पिता-स्व. श्री रामखिलावन निवासी-विद्युत यांत्रिकीय लाईट मशीनरी एवं गेट संभाग, संकरी बिलासपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कु. रेणु गोस्वामी (Ku. RENU GOSWAMI) पिता श्री हरिगोविन्द, उम्र 23 वर्ष, निवासी डी. एम. सी. गेट के सामने, आदर्श नगर, वार्ड नं. 19, कुम्हारी जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे बी. काम. एवं एम. काम की अंकसूची में मेरा नाम Ku. RENU GOSWAMI D/o Shri HARI GOVIND दर्ज है तथा मेरे दसवीं एवं बारहवीं की अंक सूची में मेरा नाम स्पेलिंग त्रुटिवश Ku. RENU GOUSWAMI दर्ज हो गया है. मैं अपने उपनाम GOUSWAMI को परिवर्तित कर Ku. RENU GOSWAMI रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे Ku. RENU GOSWAMI D/o Shri HARI GOVIND के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. रेणु गोस्वामी Ku. RENU GOUSWAMI पिता- श्री हरिगोविन्द निवासी-डी. एम. सी. गेट के सामने आदर्श नगर, वार्ड नं. 19, कुम्हारी जिला दुर्ग (छ. ग.)	कु. रेणु गोस्वामी Ku. RENU GOSWAMI पिता- श्री हरिगोविन्द निवासी-डी. एम. सी. गेट के सामने आदर्श नगर, वार्ड नं. 19, कुम्हारी जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संतोष कुमार लोधी आत्मज लेखाराम लोधी, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम सिल्ली, तहसील धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम संतोष कुमार लोधी आत्मज श्री लेखाराम लोधी दर्ज है तथा मेरे राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र में मेरा नाम संतोष कुमार पटेल आत्मज श्री लेखाराम पटेल दर्ज है, मैं अपने उपनाम लोधी को परिवर्तित कर संतोष कुमार पटेल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे संतोष कुमार पटेल पिता श्री लेखाराम पटेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
संतोष कुमार लोधी पिता- श्री लेखाराम लोधी निवासी-ग्राम सिल्ली, तहसील धमधा जिला-दुर्ग (छ. ग.)	संतोष कुमार पटेल पिता- श्री लेखाराम पटेल निवासी-ग्राम सिल्ली, तहसील धमधा जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

निविदा सूचनाएं

G. B. 4 Machine purchase (2) Hand Numbering/08-14/735 Raipur. Date 3-10-2013

Tender Notice

Sealed tenders are invited for the purchase of Hand Numbering machine, the details and quantity of numbering machines are given below

S. No.	Name of machine	Description	Quantity
1.	Original "MAX" Hand Numbering machine	7 Digit ROMAN Engaving 4.5 m. m. and 5 action steel body.	35 No.
2.	Original "MAX" Hand Numbering machine	6 Digit ROMAN Engaving 4.5 m. m. and 7 action steel body.	10 No.

Tender must be reach in this office with sample of Numbering machine with brousher on up to 25-10-13 at 3 pm. Tender will be opened on the same day at 4 pm. in presence of Tenderer's and their authorised representatives. Tenderer will have to submit tender deposit of Rs. 10,000 in shape of F. D. R./D. D. of Nationalised bank in favour of Director, Govt. Printing & Stationery C. G. Raipur. Tender submitted without earnest money will not be considered.

Terms of the Tender

1. Tenderer will have to submitt one original "MAX" Hand Numbering machine as sample along with tender.
2. Rates of the numbering machine should be quoted clearly for destination at Govt. press Raipur/Rajnandgaon.
3. C. S. T. and Vat charged should be mentioned seperatelly.
4. Income Tax/Vat/C.S.T. clearance certificate of last year should be attached with tender.
5. The sucessful tenderer will have to execute an agreement and submit the security deposit of 5% cost of numbering machine's. It will be extra than tender deposit.
6. Payment of machine supplied will be made only when machines are found in good and working condition.
7. Tenderer will have to supply within prescribed period mentioned in supply order.
8. If tenderers failed to supply the said machine the earnest money and security deposit will be forfitted.
9. No counter terms will be accepted.
10. Director is not bound to accept lowest rates. Orders can be divided between two or more tenderers.
11. Director can relax any term and condition of this tender partly of wholly in the financial interest of Government.

C. K. UIKEY
Director
Govt. Printing & Stationary
Chhattisgarh Raipur.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 6 सितम्बर 2013

क्रमांक/ 732 /उपंरा/परिसमापन/2013- चूंकि जयदेवा स्वायत्त साख सहकारिता मर्यादित राजनांदगांव पंजीयन क्रमांक 12 जिला राजनांदगांव के अध्यक्ष द्वारा जयदेवा स्वायत्त साख सहकारिता मर्यादित राजनांदगांव पंजीयन क्रमांक 12 जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल की बैठक दिनांक 21-8-2013 के कार्यवाही विवरण/मन्तव्य जांच अधिकारी को प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया गया है कि जयदेवा स्वायत्त साख सहकारिता मर्यादित राजनांदगांव पंजीयन क्रमांक 12 जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावें तथा जांच अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 29-8-2013 में यह अभिमत दिया गया है कि जयदेवा स्वायत्त साख सहकारिता मर्यादित राजनांदगांव पंजीयन क्रमांक 12 जिला राजनांदगांव समिति का पंजीयन निरस्त करना उचित होगा तथा मैं जांच अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के तथ्यों से सहमत हूं तथा यह धारणा करता हूं कि वास्तव में जयदेवा स्वायत्त साख सहकारिता मर्यादित राजनांदगांव पंजीयन क्रमांक 12 जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाया जाकर उसका पंजीयन निरस्त करना उसके अंशधारी सदस्यों एवं आम जनता के व्यापक हित में आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं एस. एल. विश्वकर्मा उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थायें राजनांदगांव सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ: 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 की धारा 60 के अन्तर्गत जयदेवा स्वायत्त साख सहकारिता मर्यादित राजनांदगांव पंजीयन क्रमांक 12 जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री पी. आर. देशमुख अंकेक्षण अधिकारी राजनांदगांव को जयदेवा स्वायत्त साख सहकारिता मर्यादित राजनांदगांव पंजीयन क्रमांक 12 जिला राजनांदगांव का परिसमापक नियुक्त करता हूं. श्री पी. आर. देशमुख अंकेक्षण अधिकारी राजनांदगांव परिसमापक जयदेवा स्वायत्त साख सहकारिता मर्यादित राजनांदगांव पंजीयन क्रमांक 12 जिला राजनांदगांव नियमानुसार परिसमापन की कार्यवाही 15 दिवस के अंदर सुनिश्चित कर अंतिम प्रतिवेदन 20 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से प्रस्तुति करना सुनिश्चित करेंगे ताकि उक्त सहकारिता के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 06-09-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्रमांक/772/उपंरा/परि./2013 - वस्तुत: वर्धमान गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित राजनांदगांव पंजीयन क्रमांक 16 जिला राजनांदगांव संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/606/उपंरा/परि./2013, राजनांदगांव दिनांक 12-7-2013 जारी किया कि आपकी संस्था में उपलब्ध भूखण्डों की संख्या 139 है तथा सभी भूखण्ड सदस्यों को आवंटित कर भूखण्डों का पंजीयन कर दिया गया है तथा भूखण्डों पर निर्मित भवनों की संख्या 84 है एवं 55 भूखण्डों पर सदस्यों द्वारा भवनों का निर्माण नहीं कराया गया है जबकि संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार सदस्य को भूखण्ड आवंटन एवं पंजीयन तिथि के बाद 03 वर्ष में आवंटित/पंजीकृत भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराना आवश्यक होता है अथवा अधिकतम 05 वर्ष की अवधि भवन निर्माण हेतु संस्था द्वारा सदस्यों को दिया जाता है किन्तु आपकी संस्था में 55 भूखण्डधारी सदस्यों के द्वारा वर्तमान तक भवनों का निर्माण नहीं कराया गया है और उनके विरुद्ध आपकी संस्था के द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही/भूखण्ड निरस्तीकरण की कार्यवाही संस्थित नहीं की गई है.

वस्तुत: आपकी संस्था के गठन एवं पंजीयन तिथि दिनांक 21-4-1992 से दिनांक 12-7-2013 तक की अवधि 21 वर्ष 02 माह 22 दिवस में संस्था के समस्त विकास कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है ऐसी स्थिति में संस्था को अस्तित्व में बनाए रखने का कोई औचित्य शेष नहीं रह गया है, इसलिए आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर नियमानुसार उसका पंजीयन निरस्त करना आपकी संस्था एवं उसके अंशधारी सदस्यों के व्यापक हित में आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

वास्तव में, संस्था को उपरोक्त कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/606/उपंरा/परि./2013, राजनांदगांव दिनांक 12-7-2013 से संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष वर्धमान गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित जी. ई. रोड राजनांदगांव पंजीयन क्रमांक 16, जिला राजनांदगांव के ज्ञात पते पर

रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया है किन्तु निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का कोई जवाब/प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. वस्तुत: कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12-7-2013 में यह भी निदेश दिया गया कि कारण बताओ सूचना पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर कारण बताओ सूचना पत्र का लिखित में जवाब/प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और यदि कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर/प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जावेगा कि प्रकरण में आपको कुछ नहीं कहना है और प्रकरण में विधि सम्मत आदेश पारित कर दिया जावेगा. वास्तव में, उक्त संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/प्रतिवेदन समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने से यह धारणा की जाती है कि उक्त संस्था को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12-7-2013 में अंकित तथ्य स्वीकार हैं तथा संस्था को परिसमापन में लाए जाने के संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12-7-2013 के विद्यमान तथ्यों के परिणाम स्वरूप वर्धमान गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित जी. ई. रोड राजनांदगांव पंजीयन क्रमांक 16, जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं समीचीन हो गया है.

अत: मैं एस. एल. विश्वकर्मा उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ : 15-19/15-02/2012/03 रायपुर, दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. के शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) (ए/क) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत वर्धमान गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित जी. ई. रोड राजनांदगांव पंजीयन क्रमांक 16, जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाया जाता है तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के प्रावधानों के तहत श्री पी. आर. देशमुख अंकेक्षण अधिकारी राजनांदगांव को वर्धमान गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित जी. ई. रोड राजनांदगांव पंजीयन क्रमांक 16, जिला राजनांदगांव का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक श्री देशमुख, छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार दो माह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 11-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2013

(सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत)

क्रमांक/उपंरा/परि./2013/1186-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./2013/133 दिनांक 23-04-13 के द्वारा महालेखाकार कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, रायपुर जिला रायपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 250 दिनांक 28-5-2003 को सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा 7 के अन्तर्गत श्री बी. टोप्पो को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचती हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) एवं सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02, दिनांक 04 मई 2012 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ.

आज दिनांक 26-08-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

किरण गुप्ता,
उप पंजीयक.